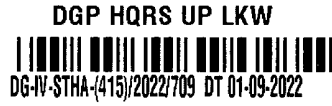


आदेश

आरक्षी ना0पु0/112654450 विवेक कुमार के जनपद बलिया से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 15.07.2021 से नियुक्त होने के पश्चात उक्त आरक्षी के विरुद्ध थाना खरखौदा, जनपद मेरठ में दिनांक 29.10.2021 को आई0पी0सी0 की धारा 498ए/323/504 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 का अभियोग पंजीकृत होने के कारण प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त रखा जाना नियमानुसार उचित न पाये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की प्रतिनियुक्ति से मूल गहन जनपद बलिया वापस किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एसपी-(ई-1)-(जनहित)-415/2022 दिनांक 01.09.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-



(राहुल मिश्र)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था0-(415)/2022/709

दिनांक:सितम्बर 01, 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक(सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, जनपद बलिया।
3. प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।